गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

पत्रांक : 566/4/पी0ए0–टी0/2021–22 दिनांक 31-08-2021

331

एकल निविदा आमंत्रण सूचना

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से सपठित उल्लेखित नियम व शर्तो के अन्तर्गत निम्न कार्यों की मुहरबन्द निविदाएं कार्य के सम्मुख अंकित दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र प्राधिकरण परिसर में स्थित विजया बैंक (बैंक आफ बड़ौदा) एवं प्राधिकरण वैबसाइट से पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्य के सम्मुख अंकित अवधि में किसी भी कार्य दिवस में क्रय किये जा सकेंगे। निविदाएं प्राधिकरण कार्यालय स्थित स्वागत कक्ष में रखे निविदा बाक्स में निम्नानुसार निविदा आमंत्रण के दिनांक को अपरान्हः 2:00 बजे तक डाली जा सकती है। प्राप्त सभी निविदाएं उसी दिनांक को ही अपरान्ह 04:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों/फर्मो के समक्ष (यदि उपस्थित हों) खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आरक्षित राशि (रू0 लाख में)	धनविदा मूल्य (रू0 में)	धरोहर राशि (रू0 में)	कार्य की अवधि	जोन का नाम	निविदा विक्रय की अवधि	निविदा आमंत्रण/ खोले जाने की तिथि
1.	इन्दिरापुरम न्यायखण्ड–3 में भवन संख्या–एन0के0–3/21 ई0डब्लू0एस0 की मरम्मत का कार्य।	0.95	708.00	1900.00	45 दिन	06	दिनांक 15.09.2021 से 23.09.2021	23.09.2021
2.	प्राधिकरण द्वारा राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में मोरटी मोड से लेकर राज एम्पायर सोसायटी के सामने वाली रोड पर स्थापित की गयी सोडियम लाईटों के वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य।	1.39	708.00	2800.00	365 दिन	विद्युत जी0एम0पी0	दिनांक 15.09.2021 से 23.09.2021	23.09.2021
3.	उपाध्यक्ष महोदय के कैम्प कार्यालय के लिए 01 नग एच0पी0 स्पेक्ट्रा 360 16 जी0बी0 लैपटॉप की आपूर्ति का कार्य।	1.57	708.00	3200.00	07 दिन	कम्प्यूटर अनुभाग	दिनांक 15.09.2021 से 23.09.2021	23.09.2021
4.	इन्दिरापुरम योजना के नीतिखण्ड–2 में पानी की टंकी वाले पार्क में स्थित अनुरक्षण कार्यालय की मरम्मत का कार्य।	3.92	1121.00	7900.00	60 दिन	06	दिनांक 15.09.2021 से 23.09.2021	23.09.2021
5.	नेहरू नगर स्थित चन्द्रशिला अपार्टमेंट में लिफ्ट संचालन हेतु लिफ्ट आपरेटर/पम्प आपरेटर की एक वर्ष हेतु आपूर्ति का कार्य।	4.89	1121.00	9800.00	365 दिन	04	दिनांक 15.09.2021 से 23.09.2021	23.09.2021
6.	प्रताप विहार योजना के सैक्टर–11 ब्लॉक–एच में पूर्व निर्मित 348 (दस मंजिले) ई0डब्लू0एस0 भवनों में लिफ्ट संचालन हेतु लिफ्ट आपरेटर की आपूर्ति का कार्य।	4.89	1121.00	9800.00	365 दिन	04	दिनांक 15.09.2021 से 23.09.2021	23.09.2021
7.	तुलसी निकेतन योजना में सीवेज तथा ड्रेन वाटर पम्पिंग हेतु 40 एच0पी0 पम्प मोटर स्थापित करने तथा पम्प हाउस का निर्माण कार्य।	6.28	1534.00	12600.00	180 दिन	08	दिनांक 15.09.2021 से 23.09.2021	23.09.2021
8.	इन्दिरापुरम योजना के शिप्रा सनसिटी में दिनकर मार्ग पर बी0एम0 व एस0डी0बी0सी0 का कार्य।	7.56	1534.00	15200.00	60 दिन	06	दिनांक 15.09.2021 से 23.09.2021	23.09.2021
9.	राजनगर एक्सटेंशन की समस्त सड़कों पर बिटुमिनस स्पीड ब्रेकर बनाने का कार्य।	7.68	1534.00	15400.00	60 दिन	01	दिनांक 15.09.2021 से 23.09.2021	23.09.2021

नियम व शर्ते :–

1– निविदा प्रपत्र प्राधिकरण की वैबसाइट **www.gdaghaziabad.com** पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का उपयोग कर निविदा डालने पर निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर (नॉन–रिफण्डेबल) जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में गाजियाबाद स्थित बैंक शाखा में भुगतान योग्य हो तथा धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर तथा धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

2– निविदा विक्रय के अंतिम दिवस तथा निविदा आमंत्रण के दिनांक को अवकाश की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस को विक्रय/खोली जायेगी।

3– डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र को स्पायरल बाइण्ड/हार्ड बाउइड करने के पश्चात् ही निविदा हेतु प्रयोग किया जायेगा।

4– वैबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और बैंक में बिक्री के लिए उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो, तो बैंक में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होंगे।

5– निविदा स्वीकृति उपरान्त अनुबंध की औपचारिकतायें दस दिन के अन्दर पूर्ण करनी होगी।

6– धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बैंक के कैश काउण्टर/कार्यालय से निविदा निर्गत की जायेगी। एफ0डी0आर0 उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होगी।

7– अनुबन्ध के दौरान ठेकेदार के किसी श्रमिक की कोई दुर्घटना आदि हो जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

8– ठेकेदार को अनुरक्षण प्रकृति के कार्यो हेतु श्रमिक उपस्थित पंजिका का प्रतिमाह रख–रखाव करना होगा।

9– लेबर एक्ट का पूर्ण रूप से पालन करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

10– ठेकेदार अपने श्रमिकों को पहचान पत्र देगा जो ठेकदार द्वारा सत्यापित होगा।

11– निविदा की दरें जी0एस0टी0 रहित होंगी, जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार अलग से किया जायेगा।

12– ठेकेदार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अथवा उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में वैध पंजीकरण की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

13– किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी मुख्य अभियन्ता

E-Tender Notice-20-12-2016